जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गोड्डा।

सी0सी0ए0 केश नं0–11/2023–24

सरकार

बनाम्

मो0 कासीम अंसारी

–: आदेश :–

दिनांक 30/3/24

विज्ञ सरकारी वकील एवं विपक्षी के विद्वान अधिवक्ता को सुना। विपक्षी की ओर से दाखिल कारण–पृच्छा एवं अभिलेख का अवलोकन किया।

वर्तमान वाद की प्रक्रिया पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के पत्रांक–302/डी0सी0बी0 दिनांक–26.06.2023 से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने राजाभीठा थाना के अपराधकर्मी मो0 कासिम अंसारी, उम्र–38 वर्ष, पे0–युसुफ अंसारी, सा0–कुशबिल्ला, थाना–राजाभीठा, जिला–गोड्डा को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–2 (डी) के अन्तर्गत परिभाषित असामाजिक तत्व है, के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजिरी करने हेतु प्रस्ताव दिया गया है। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा का प्रतिवेदन है कि अपराधकर्मी मो0 कासिम अंसारी, उम्र–38 वर्ष, पे0–युसुफ अंसारी, सा0–कुशबिल्ला, थाना–राजाभीठा, जिला–गोड्डा एक असामाजिक तत्व है, जिसके द्वारा लम्बे अरसे से राजाभीठा थाना क्षेत्र में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसे ललमटिया थाना काण्ड सं0–93/2016 दिनांक–30.10.2016 धारा–395 भा0द0वि0 में गिरफ्तार कर माननीय न्यायिक हिरासत में भेजा गया था, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय, गोड्डा से जमानत पर मुक्त है।

आगे प्रतिवेदन है कि यह एक परिभाषित असामाजिक तत्व है, जिसका कार्य समाज में अराजकता फैलाने, ग्रामीणों को भयादोहन करने हेतु लूट/डकैती/चोरी/गृहभेदन/छीनतई रंगदारी एवं अवैध हथियार रखकर घटना को अंजाम देने जैसे कई कांड अंकित किये गये है, जिसका उल्लेख अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा के प्रस्ताव में किया गया है। इसके विरूद्ध राजाभीठा थानान्र्गत काण्ड के अलावे असामाजिक गतिविधि के लिए सन्हा भी दर्ज किया गया है। इसके बाहर रहने से लोक व्यवस्था पूरी तरह

से भंग होने की संभावना बनी हुई है। अपराधकर्मी मो0 कासिम अंसारी, उम्र–38 वर्ष, पे0–युसुफ अंसारी, सा0–कुशबिल्ला, थाना–राजाभीठा, जिला–गोड्डा को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए थाना हाजिरी कर निगरानी रखना अति आवश्यक है। इसके बाहर रहने से राजाभीठा थाना क्षेत्र के आस–पास के गॉव एवं थाना क्षेत्र के ग्रामीणों में काफी भय का माहौल बना हुआ है, जिससे लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अतएव आम लोगों पर भयांक्रांत खोप, दहशत देखने को मिल रहा है। इसका पुष्टि राजाभीठा थाना में दर्ज सन्हा से प्रतीत होता है, जो इनके असामाजिक तत्व होने को प्रमाणित करता है। इनके विरूद्ध दर्ज किये गये आपराधिक इतिहास निम्नांकित है, जो वर्तमान में माननीय न्यायालय, गोड्डा में विचाराधीन है तथा सभी कांण्डों में आरोप पत्र समर्पित किये जा चुके हैं, जिसकी विस्तृत विवरणी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा समर्पित प्रस्ताव में अंकित है।

आपराधिक इतिहास :–

1. ललमटिया थाना काण्ड सं0–93/2016 दिनांक–30.10.2016 धारा 395 भा0द0वि0
2. राजाभीठा थाना काण्ड सं0–07/2019 दिनांक–29.03.2019 धारा–413/414/34 भा0द0वि0 एवं 30(बी0) कोयला खनन अधिनियम
3. राजाभीठा थाना काण्ड सं0–08/2019 दिनांक–09.04.2019 धारा–413/414/34 भा0द0वि0 एवं 30(बी0) कोयला खनन अधिनियम

वर्तमान में उक्त के विरूद्ध दर्ज सन्हा :–

राजाभीठा थाना दैनिकी सन्हा संख्या–13/23 दिनांक–07.06.2023 समय 15.45 बजे

आगे प्रतिवेदन में उल्लेख है कि पु0अ0नि0 भोला कुमार बड़ाईक सशस्त्र बल के साथ दिवा गस्ती एवं आसूचना संकलन पश्चात थाना आये और बताये कि ग्राम–राजाभीठा, भदरिया, कुशबिल्ला, केड़ो बाजार, रतनपुर, कुसुमघाटी में आसूचना संकलन के क्रम में ग्रामीणों एवं व्यवसायियों द्वारा बताया गया कि मो0 कासिम अंसारी, उम्र–38 वर्ष, पे0–युसुफ असांरी, सा0–कुशबिल्ला, थाना–राजाभीठा, जिला–गोड्डा कुख्यात अपराधी है, जो

अन्य–अन्य कांडों में जेल गये थे। ये अभी जेल से छुटे हैं। आसूचना संकलन में यह भी पता चला कि धमकी देते रहता है, जिसे अगल–बगल के गांवों में काफी भय का माहौल बना हुआ है। दर्ज काण्डों एवं सनहा से यह स्पष्ट है कि मो0 कासिम अंसारी, उम्र–38 वर्ष, पे0–युसुफ अंसारी, सा0–कुशबिल्ला, थाना–राजाभीठा, जिला–गोड्डा झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–2 (डी) में परिभाषित असमाजिक तत्व है। जिनका मुख्य कार्य समाज में अराजकता फैलाना, ग्रामीणों का भयादोहन करना, रंगदारी वसूलना, अपराधिक घटनाओं को अंजाम देना इत्यादि है। यह अपराधी जेल से जमानत पर छुटकर बाहर आया है। इनके जेल से छुटने पर राजाभीठा थाना एवं सीमावर्ती थाना क्षेत्रों के लोगों में भय व्याप्त है तथा इनके घर पर अक्सर संदिग्ध लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिससे आमजनों में भय का माहौल बन गया है। इनके भय को आमजनों में कम करने के लिए इनकी निगरानी रखना आवश्यक है। जिसके लिए इन्हे थाना पर हाजिरी कराकर निगरानी रखने पर आमजनों मे दहशत का माहौल नियंत्रण रहेगा। उक्त अपराधकर्मी के विरूद्ध अपराध नियत्रंण अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई करने से आम जनता के मनोबल में वृद्धि होगी तथा दहशत का माहौल नियंत्रित होगा जो राजाभीठा थाना एवं सीमावर्ती थाना क्षेत्रों में लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने में सहायक सिद्ध होगा। पुलिस अधीक्षक, गोड्डा ने उक्त असामाजिक तत्व मो0 कासिम अंसारी, उम्र–38 वर्ष, पे0–युसुफ अंसारी, सा0–कुशबिल्ला, थाना–राजाभीठा, जिला–गोड्डा को लोक हित में निगरानी रखने हेतु अभियुक्त को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (1981) की धारा–3(i)(ए)(बी)(i)(ii) के अन्तर्गत थाना हाजिरी करने की अनुशंसा की है।

विपक्षी को कारण–पृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिश निर्गत किया गया है। विपक्षी की ओर से कारण–पृच्छा दाखिल किया गया है। विपक्षी का कथन है कि विपक्षी समाजिक व्यक्ति है एवं विपक्षी का किसी असमाजिक तत्व से कोई साँठ गाँठ नहीं है। इसलिए विपक्षी को थाना हाजरी से मुक्त करने की कृपा की जाय।

उपरोक्त तथ्यों एवं अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के अवलोकनोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि मो0 कासिम अंसारी, उम्र–38 वर्ष, पे0–युसुफ अंसारी, सा0–कुशबिल्ला, थाना–राजाभीठा, जिला–गोड्डा एक अपराधकर्मी है। विपक्षी के विरूद्ध ललमटिया थाना काण्ड सं0–93/16

दिनांक–30.10.2016 धारा 395 भा0द0वि0, राजाभीठा थाना काण्ड सं0–07/19 दिनांक–29.03.2019 धारा–413/414/34 भा0द0वि0 एवं 30(बी0) कोयला खनन अधिनियम एवं राजाभीठा थाना काण्ड सं0–08/19 दिनांक –09.04.2019 धारा–413/414/34 भा0द0वि0 एवं 30(बी0) कोयला खनन अधिनियम तथा राजाभीठा थाना दैनिकी सन्हा संख्या–13/23 दिनांक–07.06.2023 सन्हा दर्ज है। विपक्षी के जेल से बाहर रहने से लोक व्यवस्था प्रभावित हो सकते हैं एवं इनके द्वारा शांति भंग भी की जा सकती है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के विचारोपरांत पुलिस अधीक्षक, गोड्डा के अनुशंसा के आलोक में पूर्णरूपेन संतुष्ट होकर झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002(1981) की धारा–3(3)(बी)(i) के प्रावधानों के तहत मो0 कासिम अंसारी, उम्र–38 वर्ष, पे0–युसुफ अंसारी, सा0–कुशबिल्ला, थाना–राजाभीठा, जिला–गोड्डा को आदेश दिया जाता है कि वे माह जून 2024 तक लगातार अपने दैनिक गतिविधि का सूचना एवं अपनी उपस्थिति इस आदेश में वर्णित, जिसका विवरण निम्नांकित है :–

दैनिक गतिविधि एवं उपस्थिति दर्ज करने का समय

सुबह – 07 बजे से 09 बजे के बीच

शाम – 07 बजे से 08 बजे के बीच

दोनों समय में से किसी एक समय प्रत्येक दिन श्री अशोक कुमार, थाना प्रभारी, राजाभीठा, मो0 नं0–6204847015 के समक्ष दर्ज कराना सुनिश्चित करेंगे। थाना प्रभारी, राजाभीठा को आदेश दिया जाता है कि वे मो0 कासिम अंसारी का प्रत्येक दिन का गतिविधि एवं उपस्थिति लगातार माह जून 2024 तक दर्ज करेंगे एवं इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को समर्पित करेंगे।

आदेश का अनुपालन हेतु आदेश की प्रतिलिपि विपक्षी एवं थाना प्रभारी, राजाभीठा को देगें तथा इसकी प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक, गोड्डा को भी निर्गत करेंगे।

लिखाया एवं शुद्ध किया।

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा।

जिला दण्डाधिकारी,
गोड्डा।

डी० वी० सं० 57 एवं 5/4/24
58 5/4/24 से निर्गत

Digitally signed by Anjali Yadav
Date: 2025.11.12 13:01:47 +05:30
Location: 192.168.1.9